...त्रावली पेश हुई। P.O साहब अन्य कार्य में
व्यस्त है पत्रावली आईन्दा दिनांक 15/11/17 को
पेश हो।

पत्रावली प्रस्तुत। श्रीमान P.O साहब अन्य
कार्य मे व्यस्त है अतः पत्रावली आईन्दा
दिनांक 19-12-17 को पेश हो

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप.
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अत: पत्रावली आईन्दा दिनांक 13-1-18
को पेश हो।

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप.
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अत: पत्रावली आईन्दा दिनांक 20-2-18
को पेश हो।

...02/18 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 24/3/18 को प्रस्तुत हो

24/3/18 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 25/4/18 को प्रस्तुत हो

25/4/18 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके
द्वार-2018 अभियान ग्राम पंचायत .... में आयोजित होने के कारण पेशी में ली गई। सम्बन्धित
पक्षकारान को वास्ते तलबी नोटिस/ सम्मन जारी होकर
पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/5/18 पेश हो।

8/5/18 पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प
27A मे प्रस्तुत हुई। वादी उप०। प्रतिवादी
नं० 1 व 2 उप०। प्रतिवादी नं० 3 अनु०।
उपस्थित वादी एवं प्रतिवादीगण ने
मजमे आम बताया कि मर्म मे

LTI लखमाराम

LTI प्रेमाराम

LTI किशनाराम

TDR 8/5/18

मा० न्यायालय द्वारा जारी डिक्री में
वादी के नाम से एक बीघा कृषि भूमि
का उल्लेख किए जाने से छूट गया है।
~~जिसे~~ विचाराधीन पत्रावली का अवलोकन
किया गया। मसले काफी जानकारी की
गई। पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेज
के अनुसार वाद सं० 61/2013 डिक्री दि
दिनांक 16/6/15 द्वारा जारी की गई है।
उपर्युक्त डिक्री में यदि कोई संशोधन
अपेक्षित था तो वादी को रिव्यू प्रा
पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था।
वादी ने जिस धारा के अंतर्गत अनुतोष
गया है उन धाराओं के तहत डिक्री
संशोधन किया जाना संभव नहीं
ऐसी स्थिति में वादी का वाद प
इसी स्तर पर खारिज किया ज
है। वादी पूर्व में जारी डिक्री में
हेतु रिव्यू प्रार्थना पत्र अथवा
करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

निर्णय मसले आम सुनाय
आकर खुले न्यायालय में सुना
गया।